न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
11.8.23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। पैरोकार सरकार उपस्थित है। पैरोकार सरकार ने भी तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित बताया। हमने प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड-दस्तावेज, शपथ-पत्र तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस मे दिये गए तर्को पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि DILRMP योजना के अन्तर्गत की गई online तरमीम में खसरा सं. 1783 जो कि प्रार्थी की भूमि है, को लट्ठा शीट मे उत्तरी दिशा में स्थित ख. नं. 1812 की भूमि के रकबे में मिला दिया है। ख.सं. 1783 की भूमि मे लट्ठा नक्शे मे दर्ज मेड को जो पैमाईश के समय से लट्ठा शीट में [illegible] दिया गया है। अत: पूर्व लट्ठा [illegible] की स्थिति के अनुसार [illegible] किया जाना उचित है। [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 LR Act स्वीकार (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.09 16:18:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाता है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव की भूमि खसरा संख्या 1783 रकबा 0.4045 हेक्टेयर की तरमीम प्रस्तावित तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व लट्ठा-नक्शे की स्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित तरमीम के नक्शा ट्रेस को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा, के अनुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.09 15:18:08 IST
Reason: SelfAttested